

प्रेस- नोटथाना- तहबरपुरखुद की बहू को जला कर हत्या करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार; पूर्व में 01 अभियुक्त हो चुका है गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक- 18.03.2024 को थाना तहबरपुर पर वादी सुदीप यादव पुत्र मधुबन यादव ग्राम पश्चिम पट्टी थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दिया कि वादी मुकदमा की बहन की शादी वर्ष 2013 में कन्हैया लाल पुत्र विद्याधर निवासी ग्राम आतापुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी जिससे दो बच्चे है। वादी की बहन निजी व्यवसाय ब्यूटी पार्लर व जनरल स्टोर की दुकान चलाकर जीविकोपार्जन व धनार्जन करती थी। जमीन खरीदने के नाम पर उसके पति कन्हैया व अन्य लोग रुपये माँग रहे थे जबकि इसके पूर्व दो लाख रुपये दिया था अब रुपये देने में असमर्थता जताई उसके लिए बहन को शारीरिक व मानसिक यातनाये भी दी गयी अन्त में दिनांक 17-03-2024 को समय लगभग दिन 1.30 बजे पति कन्हैया लाल पुत्र विद्याधर, ससुर विद्याधर पुत्र सुखू, देवर जयहिन्द पुत्र विद्याधर तथा सास उर्मिला देवी पत्नी विद्याधर ने उसकी हत्या कर असलियत छिपाने के लिए उसके शव को घर में ही जला दिये, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 66/2024 धारा 302/201 भादवि विरूद्ध 1. कन्हैया लाल यादव पुत्र विद्याधर पति 2. विद्याधर पुत्र सुखू ससुर 3. जयहिन्द पुत्र विद्याधर देवर 4. उर्मिला देवी पत्नी विद्याधर सास समस्त साकिनान ग्राम आतापुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना थानाध्यक्ष मधुपनिका द्वारा संपादित की जा रही है।

➔ दिनांक- 20/03/2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कन्हैया यादव पुत्र विद्याधर यादव सा0 आतापुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को ओहनी अन्डर पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक - 22/03/2024 को थानाध्यक्ष मधुपनिका मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. विद्याधर पुत्र सुखू ससुर 2. उर्मिला देवी पत्नी विद्याधर सास साकिनान ग्राम आतापुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को करियावर मोड पुर्वान्वल एक्सप्रेसवे 219 नम्बर पास से समय 12.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 66/2024 धारा 302/201 भादवि थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. विद्याधर पुत्र सुखू (ससुर)
2. उर्मिला देवी पत्नी विद्याधर समस्त साकिनान ग्राम आतापुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़। (सास)

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम- थानाध्यक्ष मधुपनिका, का0 अजय राय, का0 गौरव यादव, का0 रत्नेश सिंह, म0का0 साधना सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना- रानी की सरायकिशोरी के को अगवाकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना - दिनांक 15.03.2024 को थानान्तर्गत एक महिला उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर दी कि विपक्षी 01. राज पटेल पुत्र रामराज 2. सुनील पटेल पुत्र गण रामराज 3. रामराज पुत्र स्व0 राजपत पटेल शाहखजुरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ अभि0गण द्वारा वादिनी की पुत्री उम्री करीब 15 वर्ष को बहला-फुसला कर भगा ले गये है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 76/24 धारा 363/507 भादवि बनाम 03 नफर पंजीकृत किया गया। विवेचना दौरान मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता की बरामदगी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी किया गया जिसके आधार पर धारा 366/376 भादवि ¾ पास्को एक्ट की बढोत्तरी किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक- 21.03.2024 को उ0नि0 राजकेश्वर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राज पटेल पुत्र रामराज पटेल नि0 शाहखजुरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को चेकपोस्ट शिवजी मन्दिर के पास से समय करीब 17.25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 76/2024 धारा 363/366/507/376 भादवि व ¾ पास्को एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त - राज पटेल पुत्र रामराज पटेल नि0 शाहखजुरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 राजकेश्वर सिंह, का0 आत्मा कुमार, म0का0 अनिता मिश्रा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर

अवैध असलहा कारतूस व चोरी की मोबाइल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 21.03.2024 थाना स्थानीय के जनसुनवायी के हेल्प डेस्क पर आवेदक हकीमुद्दीन पुत्र अब्दुल सत्तार नि0 इसरौली थाना सरायमीर आजमगढ ने लिखित तहरीर दी कि मेरी दुकान रेडीमेड कपडे की नन्दाव मोड पर है दिनांक 20.03.24 को शाम के समय 6.30 बजे रोजा अपनी दुकान पर बैठकर खोल रहा था उसी समय एक आदमी दुकान पर आकर सामान लेने हेतु बैठ गया जब हम लोग रोजा खोलना शुरू किया तो उसी समय यह आदमी मेरा मोबाइल चुरा लिया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-134/2024 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 22.03.2024 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त मो0 दानिश पुत्र इसरार निवासी सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ उम्र करीब 22वर्ष को एक तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक मोबाइल व रंग गुलाबी SAMSUNG के साथ पूना पोखर क्रासिंग के पास से समय करीब 12.05 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-134/24 धारा 380 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ ,बढ़ोत्तरी धारा 411 भादवि
- 2.मु0अ0सं0-136/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त- मो0 दानिश पुत्र इसरार निवासी सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ उम्र करीब 22वर्ष।

बरामदगी का विवरण:- एक तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक मोबाइल SAMSUNG

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ।

थाना- निजामाबाद

गैर इरादतन हत्या वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो बरामद।

पूर्व की घटना- दिनांक 20.03.24 वादी विनोद कुमार पुत्र स्व0 वीरबल राम निवासी सबरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि वादी के वहनोई गामा पुत्र लहुरी राम ग्राम समदी थाना अहरौला, वादी के माता मेवाती देवी व पत्नी सुनीता के साथ निजामाबाद से घर जा रहे थे कि समय करीब 05.45 बजे शाम को सोफीपुर के पहले तहबरपुर की तरफ से एक्सीडेंट कर तेज गति से आ रही स्कार्पियो गाडी का चालक सुभाष यादव पुत्र हरिराम ग्राम हरखुपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ ने सामने से आकर बहनोई, माता व पत्नी जो कि बाई तरफ से जा रहे थे के उपर गाडी चढा दिया। जिससे उन लोगो को गम्भीर चोट आयी व वादी की माता व पत्नी मौके पर ही बेहोस हो गयी। इलाज हेतु अस्पताल ले जाते समय माता मेवाती देवी उम्र 65 वर्ष की रास्ते मे ही मृत्यु हो गयी। वादी के दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 124/24 धारा 304,308 IPC बनाम स्कार्पियो गाडी न0 UP 84F 3264 का चालक सुभाष यादव पुत्र हरिराम ग्राम हरखुपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ पंजीकृत किया गया। विवेचना व अग्रिम कार्यवाही हेतु उ0नि0 शमशाद खां को प्राप्त हुआ।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 22.03.2024 को उ0नि0 शमशाद खां मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र हरिराम निवासी हरखुपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र 42 वर्ष को रानीपुर चौराहे से समय करीब 11.00 बजे हिरासत पुलिस लिया गया व स्कार्पियो UP84F3264 को जब्त किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग - 1. मु0अ0सं0 124/24 धारा 304,308 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त- 1. सुभाष यादव पुत्र हरिराम निवासी हरखुपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ।

अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 124/24 धारा 304,308 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ
2. मु0अ0सं0 67/24 धारा 279, 337, 338, 427 IPC थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ
3. मु0अ0सं0 401/06 थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ
4. मु0अ0सं0 1114/10 थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ
5. मु0अ0सं0 30/14 धारा 110 CrPC थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ

बरामदगी- स्कार्पियो यू0पी0 84 एफ 3264

गिरफ्तार करने वाली टीम- 1. उ0नि0 शमशाद खां मय 2. का0 सुमीत सिंह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ

थाना- मेंहनगर

अवैध असलहा व कारतूस के साथ 02 गो-तस्कर गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक- 11/3/2024 को उप-निरीक्षक पवन कुमार सिंह हमराह को सूचना मिली कि ग्राम शिवरामपुर मे पानी टंकी के पास आंगनबाडी कार्यालय के बगल से एक पिकप वाहन पर कुछ लोग प्रतिबंधित पशु (साढ़) को कटवाकर उसका मांस बेचने हेतु लाद कर महगूगंज को लेकर जा रहे है। कि सूचना पर उक्त स्थान पर पहुँचकर वाहन को रोका गया तो उस वाहन को चला रहे चालक तथा सवार अन्य लोग तथा पीछे से मोटर साइकिल पर आ रहा व्यक्ति अपनी-2 गाडी छोडकर अन्धेरे का लाभ उठाकर भाग गये, साढ़ रस्सी से जकड़कर साढ़ के पैर एवं मुंह को कसकर बाँधकर एक दूसरे के उपर बाधे हुए गाडी से बधे है जिसके मुंह से झाग निकल रहा है। तथा माल वाहक वाहन की तलाशी ली गयी ड्राइवर की सीट के पीछे जो चापड़ बरामद हुआ। माल वाहक वाहन पर लगा रजिस्ट्रेशन प्लेट पर UP 54T 4684 नम्बर अंकित है। उपरोक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधिनियम तथा 4/25 आयुद्ध अधि0 का दण्डनीय अपराध है गोवंश लदे अशोक ली लैण्ड वाहन तथा गोवंश परिवहन मे शामिल अज्ञात व्यक्ति का मोटरसाइकिल हीरो स्पेलेण्डर काले रंग को कब्जा पुलिस मे लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 84/24 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधिनियम तथा 4/25 आयुद्ध अधि0 बनाम 1.वाहन संख्या UP 54T 4684 के वाहन स्वामी राजकुमार S/O रूपचन्द ग्राम खनौली रामपुर दोहरीघाट मऊ 2. वाहन संख्या UP 50 CQ 3797 के स्वामी मोहम्मद समीनू S/O फैजान अहमद R/O ग्राम गौरी पोस्ट बिन्द्रा बाजार थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ 3. अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 21.03.2024 को प्रभारी निरीक्षक निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1.सोनू उर्फ जावेद पुत्र जहीर सा0 फत्तेपुर लोहानपुर थाना मेहनगर आजमगढ 2.धर्मेन्द्र गुप्ता उर्फ बेचू पुत्र दीपचन्द गुप्ता सा0 सरायभादी थाना तरवा आजमगढ को समय 23.15 बजे ग्राम शिवरामपुर मे रमेश सिंह के भट्टे के पास से अभियुक्तों के कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, एक जिन्दा कारतूस 315 बोर एक लोहे का बांका एक लोहे की चाकू एक बिना नं0 की हुण्डई कार , 4 गोवंश 3 मोबाइल बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर 1.मु.अ.सं 100/24 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधिनियम तथा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ व 2. मु.अ.सं 101/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1.सोनू उर्फ जावेद पुत्र जहीर सा0 फत्तेपुर लोहानपुर थाना मेहनगर आजमगढ
- 2.धर्मेन्द्र गुप्ता उर्फ बेचू पुत्र दीपचन्द गुप्ता सा0 सरायभादी थाना तरवा आजमगढ

बरामदगी का विवरण:-

- 1-एक तमंचा .315 बोर, एक जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 2- एक लोहे का बांका एक लोहे की चाकू एक बिना नं0 की हुण्डई कार ,
- 3- 4 गोवंश 3 मोबाइल

पंजीकृत अभियोग-

- 1.मु.अ.सं 84/24 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधिनियम तथा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ
- 2.मु.अ.सं 100/24 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधिनियम तथा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ
3. मु.अ.सं 101/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास – अभियुक्त सोनू उर्फ जावेद पुत्र जहीर सा0 फत्तेपुर लोहानपुर थाना मेहनगर आजमगढ

- 1.मु.अ.सं 84/24 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 तथा 4/25 आ0एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ
- 2.मु.अ.सं 100/24 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गो0 नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0, 4/25 आ0अधि0 थाना मेंहनगर आजमगढ
- 3.मु.अ.सं. 389/22 धारा 31 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ
- 4.मु.अ.सं. 284/21 धारा 307,34,323,504,452,506 भादवि व 31द,31ध,32V SC/ST ACT थाना मेंहनगर, आजमगढ
- 5.मु.अ.सं. 88/20 धारा 31 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ
- 6.मु.अ.सं. 35/21 धारा 3/5ए/8 गोबध नि0अधि0 जहानागंज आजमगढ
- 7.मु.अ.सं. 34/21 धारा 307/34 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ
- 8.मु.अ.सं. 112/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ
- 9.मु0अ0सं0 37/2020 धारा 37/20 धारा 327/354/354ख, 427, 504/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ
- 10.मु0अ0सं0 163/18 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गो0 नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना जहानागंज
- 11.मु0अ0सं0 14/2016 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गो0 नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 307/419/420/467/468/471 भादवि थाना तरवा जनपद आजमगढ।

- 12.मु.अ.सं. 292/22 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 111D/111F पशु क्रूरता अधि0 थाना रानी की सराय
13.मु.अ.सं. 291/22 धारा 307/34/420/428/429/467/468/471 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय
14.मु.अ.सं. 168/2022 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त धर्मेन्द्र गुप्ता उर्फ बेचू पुत्र दीपचन्द गुप्ता सा0 सरायभादी थाना तरवा आजमगढ़

- 1.मु.अ.सं 84/24 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 तथा 4/25 आ0एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़
2.मु.अ.सं 100/24 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गो0 नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0, 4/25 आ0अधि0 थाना मेंहनगर आजमगढ़
3. मु.अ.सं 101/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ बनाम धर्मेन्द्र गुप्ता
4.मु0अ0सं0 56/2018 धारा 143/186/336/341/353/504 भादवि थाना तरवां जनपद आजमगढ़
5.मु.अ.सं. 222/2023 धारा 386/406/504/506 भादवि थाना तरवा जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह का0 अभिमन्यु शाह का0 उदयभान गुप्ता, चौकी प्रभारी सिंहपुर उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह का0 नीरज कुमार HC नागेश्वर लाल वर्मा थाना मेंहनगर आजमगढ़।

थाना – देवगांव

साइबर फ्राड के 32328 रूपये वापस कराया गया

पूर्व की घटना:- दिनांक 13.05.2023 को आवेदक देलशेर आलम पुत्र अब्दुल खालिद निवासी मथुरापुर थान देवगांव आजमगढ़ के द्वारा थाना स्थानीय के साइबर डेस्क पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि फिलिपकार्ट के सामान रिफण्ड के पैसे देने के लिए Rust App डाउनलोड कराकर आवेदक के खाते से 64656 रूपये ट्रान्सफर कर लिया गया। जिसके सम्बन्ध पर थाना स्थानीय पर साइबर शिकायत संख्या 33105230071464 तथा मु0अ0सं0 228/2023 धारा 419,420 भादवि व 43(ए) आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना नि0अ0 श्री रूद्रभान पाण्डेय द्वारा किया जा रहा है।

➡ दिनांक 19.03.2024 को कम्प्यूटर ऑपरेटर नवीन कुमार वर्मा मय साइबर टीम थाना देवगांव आजमगढ़ द्वारा आवेदक के खाते में 32328 रूपये वापस कराया गया।

पुलिस टीम:-

1. नि0अ0 रूद्रभान पाण्डेय थाना देवगांव आजमगढ़
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर नवीन कुमार वर्मा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

01.थाना अहरौला: हत्या के 03 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 96 हजार रूपये जुर्माना

➡ दिनांक-20.05.1998 को वादी मुकदमा रिकू पाण्डेय पुत्र कृपाशंकर पाण्डेय निवासी चक्रिया सुल्तानपुर थाना पवई आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी 1. राजकुमार पुत्र मन्तर, 2. जगदम्बा पुत्र चन्द्रबली, 3. कृपाशंकर पुत्र चन्द्रबलि निवासी गोपलीपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ आदि 06 नफर द्वारा पंचायत के दौरान असलहा के साथ वादी के बहन के ससूर व पति को गोली मारकर घायल कर दिये थे, इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी।

➡ नामजद 06 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 119/1998 धारा 147/148/149/307/149 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 03 अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है।

➡ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 22.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 07, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. राजकुमार पुत्र मन्तर, 2. जगदम्बा पुत्र चन्द्रबली, 3. कृपाशंकर पुत्र चन्द्रबलि निवासी गोपलीपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 96 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

02.थाना मुबारकपुर:आत्महत्या के लिए प्रेरित के 03 आरोपी अभियुक्त को 04 वर्ष के कारावास व 02 हजार रूपये जुर्माना

➡ दिनांक-10.11.2019 को वादिनी मुकदमा रीता देवी पत्नी रामनयन निवासी नौबरार देवारा जदीद किता 2 थाना महाराजगंज आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 220/2019 धारा 323/34/504/506/452/306 भादवि व 3(2) 5 एससी/एसटी एक्ट बनाम 1. राजू गुप्ता, 2. जित्दे3 गुप्ता पुत्र गण दूधनाथ गुप्ता 3. हरिहर यादव पुत्र जितई यादव निवासी निवासी नई बस्ती नौबरार देवारा जदीद किता 2 थाना महाराजगंज आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

➡ मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 22.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एसएसी/एसटी), आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. राजू गुप्ता, 2. जितेन्द्र. गुप्ता पुत्र गण दूधनाथ गुप्ता 3. हरिहर यादव पुत्र जितई यादव निवासी निवासी नई बस्ती नौबरार देवारा जदीद किता 2 थाना महाराजगंज आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 04 वर्ष के कारावास एवं 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।